



मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल

अधिसूचना
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2005

क्रमांक-एफ-12-40/2001/बत्तीस-राज्य शासन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 28 की उपधारा 1। एवं 2। तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 31 की उपधारा 1। एवं 2। के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पूर्व में इस संबंध में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिकृत करते हुये एतद् द्वारा उपरोक्त दोनों अधिनियमों के लिये एकल सदस्यीय अपीलीय प्राधिकारी का गठन करता है। साथ ही, उक्त अधिनियमों के प्रभारी उप सचिव, म.प्र. शासन, आवास-एवं पर्यावरण विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है। तदनुसार उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रचलित एवं प्राप्त होने वाली अपीलों की सुनवाई उनके द्वारा की जावेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता / -

आर. के. त्यागी
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2005

क्रमांक-एफ-12-40/2001/बत्तीस,
प्रतिलिपि:-

1. निदेश सहायक, मान-राज्यमंत्री/सर्व. प्र. आवास एवं पर्यावरण विभाग।
2. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
3. सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर अधिसूचना को राज्यत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ASX(B)/SE(W)/SB[P] EE[A]

/SSO. Hand /SSO(PR)/SSO(Cens)

XSec./FO/NO. Recd /SO A (cont)

Doc/NO/ G. No. 1195

आर. के. त्यागी
उप सचिव

3